"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2017—— माघ 7, शक 1938

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 25-9/2012/नौ/17-दो (II). — औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा पूर्व की अधिसूचना क्र. एफ 25-9/2012/नौ/55, नया रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, डॉ. जे. के. राजवैद्य, संचालक/शासकीय विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी, रायपुर को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् दिनांक 17 अक्टूबर 2016 से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची-सी एवं सी (1) में विनिर्दिष्ट औषधियों सहित छत्तीसगढ़ राज्य में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के प्रयोजन के लिए, शासकीय विश्लेषक नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 25-9/2012/नौ/17-दो (II).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-1-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव.

Naya Raipur, the 27th January 2017

NOTIFICATION

No. F 25-9/2012/9/17-2 (II). — In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 20 of the Drugs & Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940) and in supersession of previous notification No. F 25-9/2012/IX/55, Naya Raipur, dated 15 October 2014, the State Government, hereby, appoints Dr. J. K. Rajvaidya, Director/Government Analyst, Drugs Testing Laboratory, Kalibadi, Raipur as Government Analyst for the Purposes of Drugs and Cosmetics in the State of Chhattisgarh, including drugs specified in Schedule C and C (1) of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 from the date he assumes office i. e. 17th October 2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUBRAT SAHOO, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.